प्रेस नोट **07/09/2022**

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ एक शातिर गिरफ्तार–

थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.09.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बकवल मोड़ के पास से करन पुत्र शिवप्रसाद निवासी ताजोपुर थाना सरायलखंसी मऊ के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 490/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

नाजायज गांजा व कच्ची शराब के साथ 02 व्यक्ति गिरफ्तार–

थाना मधुबन पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.09.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान अहिरौली नहर चौराहा के पास से राजेश पुत्र रामकिशुन निवासी विक्कमपुर थाना घोसी मऊ के कब्जे से 900 ग्राम नाजायज गांजा बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा मझौवा के पास से सुभाष चौहान पुत्र रामायन निवासी धरमपुर बिंटोलिया थाना मधुबन के कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 385,386/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 60 आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना कोपागंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 07.09.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भातकोल मोड़ से मु0अ0सं0 367/22 धारा 363,366, 504,506 भादवि व 3(2)5ए, 3(1)द एससीएसटी एक्ट में वांछित अभियुक्त जितेन्द्र साहनी पुत्र लालजी निवासी फतेहपुर ताल नरजा थाना कोपागंज मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में कुल 10 व्यक्ति व एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आज दिनांक 07.09.2022 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा राजकुमार गौड़ निवासी पाउस थाना दोहरीघाट, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मनोज कुमार निवासी सेमउर परदहां थाना कोतवाली, थाना मधुबन पुलिस द्वारा श्रीराम यादव निवासी कुसहा नसीरपुर थाना मधुबन, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा सुनील निवासी पुराना कोपा, तौफीक अहमद व सुजीत साहनी निवासीगण वाजिदपुर, श्यामलाल व रामलाल गुप्ता निवासीगण बसारथपुर, शशी निवासी कुर्थीजाफरपुर व सुरेश निवासी दोस्तपुरा थाना कोपागंज व थाना रामपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मंसूर पुत्र मुस्तफा निवासी सलेमपुर थाना रामपुर मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

मानिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत पोक्सो एक्ट का दोषी 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत आज दिनांक 07.09.2022 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पोक्सो प्रथम कोर्ट जनपद मऊ द्वारा थाना मुहम्मदाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0 446/14 धारा 363,366,376 भादवि0 व 3/4 पोक्सो एक्ट में अभियुक्त राजू पुत्र सुरेश राम निवासी वलीदपुर नकही थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को धारा 4 पोक्सो एक्ट में 10 वर्ष की कठोर कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का दिनांक 08.09.2022 को जनपद मऊ में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। कार्यक्रम के दृष्टिगत शांति/कानून व्यवस्था हेतु जनपद में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु जनपद में आने व जाने वाले हल्के व बड़े चारपहिया वाहनों का प्रातः 10 बजे से सायंकाल 06 बजे तक निम्नानुसार रूट डायवर्जन किया गया है–

1. जनपद गाजीपुर व बढुआगोदाम की तरफ से आने वाले समस्त चारपहिया व बड़े वाहन बढुआगोदाम से फोर लेन होते हुये मतलूपुर की तरफ जायेंगे।
2. जनपद बलिया की तरफ से आने वाले वाहन बलिया मोड़ से दाहिने मुड़कर डांडी मोड़, सहरोज होते हुये मतलूपुर मोड़ होते हुये बढुआगोदाम से गाजीपुर की तरफ जायेंगे।
3. जनपद गोरखपुर से आने वाले समस्त चारपहिया व बड़े वाहन डांडी मोड़, सहरोज, मतलूपुर मोड़ होते हुये बढुआगोदाम से गाजीपुर की तरफ जायेंगे।
4. मोहम्मदाबाद की तरफ से आने वाले समस्त चारपहिया व बड़े वाहन मतलूपुर मोड़ से सहरोज होते हुये डांडी मोड़ होते हुये बलिया मोड़ से बलिया की तरफ जायेंगे।
5. मोहम्मदाबाद से गाजीपुर की तरफ जाने वाले समस्त चारपहिया व बड़े वाहन मतलूपुर मोड़ से दाहिने फोर लेन पर होते हुये बढुआगोदाम की तरफ जायेंगे।
6. रैली में आने वाले बड़े वाहनों बस, ट्रक, चारपहिया वाहनों को प्रवेश करने दिया जायेगा। इन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।